केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

******

प्रथम अपील सं. CICOM/A/2019/60070 दिनांक: 24.05.2019

संदर्भ संचिका सं. CICOM/R/2019/50234

अपीलकर्ता : श्री पंकज कुमार भारती,
क्वार्टर नं. ए-5/12, ए - ब्लॉक,
सचिवालय कालोनी,
नियर - हिनू बाल मंदिर स्कूल,
पो0 - डोरण्डा, हिनू, रांची - 834002.

निर्णय की तारीख: 24.05.2019

ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	04.04.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	23.03.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी का नाम	श्रीमती सविता तलूजा
ऑनलाइन प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	10.05.2019

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 04.04.2019 के ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से अवकाश के दिनों में सरकारी कर्मी/कॉन्ट्रैक्ट कर्मी को दी जाने वाली सुविधाएं/क्षतिपूरक अवकाश से संबंधित दो बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्रीमती सविता तलूजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है ।

2. संबंधित संचिका आर.टी.आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना तथा प्रथम अपील आवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 04.04.2019 के ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्रीमती सविता तलूजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 23.04.2019 को प्रदान की गई सूचना संतोषजनक नहीं है । **तद्नुसार श्रीमती सविता तलूजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के अंदर आर.टी.आई. आवेदन का ठीक से अवलोकन कर अपीलकर्ता को आयोग में उपलब्ध स्पष्ट वांछित सूचना प्रदान की जाए ।**

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्रीमती सविता तलूजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।